मु. सं.

दिनाक: 29.04.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 आदेश 47 नियम 1 व 2 सीपीसी 1908 इस आश्य का पेश किया कि ग्राम समसपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 16, 20 से 24, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 150 से 154, 158, 298 से 303, 313 से 317, 335 से 340 कुल किता 35 कुल रकबा 10.37 हैक्टर वादीगण की तन्हा खातेदारी टीनेन्सी एवं कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 लगायसत 3 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। खसरा नम्बर 335 लगायत 340 की पश्चिमी डोल के लगवा प्रतिवादगण की आराजी है जो ग्राम मौसमपुर पट्टी में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन डोल मेढ को लेकर विवाद होता रहता है। आराजी का सीमाज्ञान भी कराया लेकिन प्रतिवादीगण असंतुष्ट रहे। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 25.06.2017 को दबाये रकबा को छोडने के लिये कहा तो इन्कार कर दिया इसलिये प्रतिवादीगण के विरुद्व बेदखली का दावा पेश करना जरुरी हुआ जिसमें वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 336, 337, 338, 339, 340 स्थित ग्राम समसपुर तहसील महवा का सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार महवा को एक टीम गठित करने हेतु आदेश दिये गये कि प्रतिवादीगण द्वारा दबाये हुए रकबा से नियमानुसार बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि खसरा नम्बर 336, 337, 338, 339, 340 ग्राम समसपुर तहसील महवा में वादीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, की तद्नुसार डिक्री जारी की गई लेकिन आदेश में खसरा नम्बर 315, 316 व 335 लिखने से रह गये जो विधि, तथ्य, गणितीय व लिपिकीय त्रुटि है जिसको दुरुस्त करना न्यायहित में आवश्यक है। यदि त्रृटि दुरुस्त नहीं हुई तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जावेगें। वादीगण को न्याय प्राप्त नहीं होगा। उक्त सभी नम्बरान पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त भूल का पता लगते ही रिव्यु प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादीगण के हक में अता फरमायें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 4 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर ऐतराज किया। अप्रार्थीगण द्वारा जबाव में अंकित किया है कि वादीगण ने 15 फुट रास्ते को तोडकर अपने खेतों में मिला लिया है। अब वादीगण उक्त रास्ते की आराजी को प्रतिवादीगण के खातेदारी के खेतों में दबा होने की कहते है। उक्त प्रकरण की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में पेश की गई किन्तु कोरोना काल में अपील अदम हाजरी में खारिज हो गई जिसकी बाजदायरी पेश हो चुकी है। पारित निर्णय गणितीय/लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं माना जाता है। खसरा नम्बर 315, 316 व 335 आदेश में लिखने से नहीं रहे अपितु इन नम्बरारें का वादपत्र में कही जिक्र नहीं है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का ऐतराज किया। उक्त विवेचन के उपरान्त हम पाते है कि खातेदार को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 आदेश 47 नियम 1 व 2 जा.दी. 1908 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 आदेश 47 नियम 1 व 2 सीपीसी 1908 खसरा नम्बर 315, 316 व 335 स्थित ग्राम समसपुर पटवार मण्डल खौचपुरी तहसील महवा को इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नम्बर 219/2017(दावा) उनवान राधे बनाम घमसी में पारित निर्णय /डिक्री दिनांक 18.01.2021 में पढे जाने के आदेश दिये जाते है जो निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार महवा को आदेश दिये जाते है कि वादीगण की खातेदारी में खसरा नम्बर 315, 316 व 335 की प्रविष्ठि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करेंगें। राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठिया किये जाने हेतु उक्तानुसार तहसीलदार महवा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner